FORM No. III **APP-A**
crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बहेड़ी
बरेली बनाम सरकार
किस्म मुकदमा प्रा०प० नं. 165 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.24	प्रार्थिया उप०। पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया द्वारा प्रा०प० पेश करने पर TDR, बहेड़ी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। TDR, बहेड़ी से जांच रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक 2948/25.06.24 तथा मु०अ०/24/4305/27.09.24 प्राप्त हुई, जो शामिल है। प्रा०प० दर्ज रजिस्टर होकर वास्ते निर्णय दि० 28/10/24 को पेश हो।	
28/10/24	प्रार्थिया उप०। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया, शामिल मिसल हो। पत्रावली जिल्द शुमार होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:42:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
165 / प्रा0प0 / 2024	23.10.2024	हरविन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0

भरोसी बाई पुत्री केसरीलाल जाति मीना सा0 भलस्वा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रार्थीया

—बनाम—

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी राज०।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र—इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा—136 राज0 भू—राजस्व अधि0, 1956

निर्णय

दिनांक—28.10.2024

उपस्थित— प्रार्थीया स्वयं उपस्थित।
अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि संयुक्त खातेदार भरोसीबाई पत्नी धनराज पुत्री केसरीलाल कौम मीना सा0 भलस्वां का खाता संख्या 43 एवं 32 में नाम रामभरोसी पुत्री केसरीलाल दर्ज हैं जबकि सरकारी दस्तावेज आधार, राशन, पहचान पत्रादि में नाम भरोसीबाई ही दर्ज चला आ रहा हैं। जमाबंदी आदि राजस्व रेकार्ड में भरोसीबाई दर्ज करवाना हैं। उक्त नाम शुद्धि का प्रकरण धारा 136 में दर्ज कर शुद्धि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड दर्ज करवाया जाना आवश्यक हैं। अतः निवेदन हैं कि संलग्न दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीया का नाम शुद्धि दर्ज कर रामभरोसी के स्थान पर भरोसी पुत्री केसरीलाल दर्ज करवाये जाने की कृपा करें।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार, बून्दी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मय रेकार्ड तलब की गई। तहसीलदार, बून्दी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2948 दिनांक 25.06.2024 एवं भू0अ0 / 2024 / 4305 दिनांक 27.09.2024 से अवगत कराया हैं कि ग्राम भलस्वां के खाता संख्या 32 व 43 पर रामभरोसी पुत्री केसरीलाल सहखातेदारान में नामान्तरकरण संख्या 136 दिनांक 07.12.2010 वक्त फोती नामान्तकरण में दर्ज हुआ हैं। जो [illegible] आ रहा हैं। नामान्तकरण शजरा में प्रार्थीया का नाम रामभरोसी ही दर्ज हैं। प्रार्थीया के आधार, राशन, पेनकार्ड में भरोसी दर्ज हैं। दस्तावेज अनुसार प्रार्थीया अपना नाम रामभरोसी के स्थान पर भरोसी करवाना चाहती हैं। प्रार्थीया के सहखातेदारों तथा ग्रामवासियों से प्राप्त जानकारी व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से पाया गया कि रामभरोसी तथा भरोसी बाई दोनो एक ही व्यक्ति हैं तथा रामभरोसी बाई पुत्री केसरीलाल का नाम का कोई दूसरा व्यक्ति गांव में निवास नहीं करता हैं। अतः रामभरोसी बाई तथा भरोसी दोनो एक ही व्यक्ति हैं। अतः नाम शुद्ध किया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:42:01 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2073–76 ग्राम भलसवां के खाता संख्या 32 पुराना 41 के खसरा संख्या 263/150 रकबा 1.2381 है0 एवं जमाबंदी सम्वत् 2073–76 ग्राम भलसवां के खाता संख्या 43 पुराना 45 के खसरा संख्या 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 189 कुल किता 12 कुल रकबा 4.5447 है0 में प्रार्थीया का नाम रामभरोसी दर्ज हैं। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, बून्दी रामभरोसी एवं भरोसी नाम प्रार्थीया के ही हैं एवं उक्तानुसार प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में सही किया जाना उचित बताया हैं। उक्तानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं जमाबंदी सम्वत् 2073–76 ग्राम भलसवां के खाता संख्या 32 पुराना 41 के खसरा संख्या 263/150 रकबा 1.2381 है0 एवं जमाबंदी सम्वत् 2073–76 ग्राम भलसवां के खाता संख्या 43 पुराना 45 के खसरा संख्या 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 189 कुल किता 12 कुल रकबा 4.5447 है0 के काश्तकार के नाम में अंकित प्रविष्टी ''रामभरोसी'' के स्थान पर ''रामभरोसी उर्फ भरोसी'' किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। पालनार्थ तहसीलदार, बून्दी को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:42:01 IST
Reason: SelfAttested